का० ज्ञाप संख्या—28/5/80—कार्मिक-2

दिनांक, 2 फरवरी, 1981

विषय : नियुक्ति आदेश एवं औपचारिकता पूर्ति के लिये समय सारिणी।

Subject: Time schedule for issue of appointment orders and for other formalities.

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित सम्मिलित राज्य सेवा प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर सफल अभ्यर्थियों की संस्तुति आयोग द्वारा तथा सेवाओं में आबंटन कार्मिक विभाग द्वारा किया जाता है। यह बात देखने में आई है कि कतिपय प्रशासकीय विभागों द्वारा संस्तुत अभ्यर्थियों की नियुक्ति से सम्बन्धित, सम्पूर्ण औपचारिकतायें पूरी करने तथा नियुक्ति आदेश जारी करने में बहुत अधिक समय लगा दिया जाता है। यह भी देखने में आया है कि नियुक्ति आदेश जारी हो जाने के पश्चात् कतिपय अभ्यर्थी कोई उत्तर नहीं देते और सेवा में योगदान भी नहीं करते। इस प्रकार इनका अभ्यर्थन निरस्त करने की कार्यवाही की जाती है और इसमें भी काफी समय व्यतीत हो जाता है। फलस्वरूप जब अभ्यर्थन निरस्त किया जाता है तो उस समय सम्बन्धित परीक्षाफल घोषित हुए एक वर्ष से अधिक का समय व्यतीत हो चुका होता है और प्रतीक्षारत अभ्यर्थियों को कार्यालय ज्ञापन संख्या 4/2/1977 14—कार्मिक—1, दिनांक 30 जनवरी, 1979 के आदेशानुसार नियुक्ति नहीं प्रदान की जा सकती। परिणामस्वरूप प्रश्नगत पद में सम्बन्धित कार्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है।

2—शासन ने समुचित विचारोपरान्त यह निर्णय लिया है कि अभ्यर्थियों को लोक सेवा आयोग की संस्तुति प्राप्त होने तथा तदनुसार नियुक्ति देने की प्रक्रिया को सम्बद्ध कर दिया जाये। तदनुसार निम्नलिखित समय सारिणी निर्धारित की जाती है :—

(1) प्रशासकीय विभाग अभ्यर्थियों के नाम प्राप्त होने की तिथि से ढाई (2-1/2) माह के अन्दर नियुक्ति सम्बन्धी सभी औपचारिकतायें पूरी कर नियुक्ति आदेश अवश्य ही जारी कर दें।

(2) नियुक्ति आदेश में अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने हेतु तीस (30) दिन का समय देते हुये एक निश्चित तिथि निर्धारित करते हुए यह स्पष्ट कर दिया जाये कि उक्त अवधि में यदि वह कार्यभार ग्रहण नहीं करता और न ही उससे समय बढ़ाने का प्रार्थना पत्र उस अवधि के अन्दर प्राप्त होता है तो उक्त प्रकार से निर्धारित की गई तिथि के बाद उसका अभ्यर्थन समाप्त माना जायेगा।

उसमें यह भी स्पष्ट कर दिया जाये कि उक्त निर्धारित समय के अन्दर अभ्यर्थी से समय बढ़ाने को प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने पर अधिक से अधिक दो माह का समय प्रार्थना-पत्र में समुचित कारण दिये जाने पर प्रशासकीय विभाग द्वारा कार्मिक विभाग के अनुमोदन से बढ़ाया जा सकेगा और उक्त बढ़ाई गई अवधि के अन्दर कार्यभार न ग्रहण करने पर उसका समर्थन स्वयमेव समाप्त माना जायेगा।

(3) समर्थन निरस्त होने के आदेशों का जो पृष्ठांकन आयोग को किया जायेगा उसी में प्रश्नगत रिक्ति के लिये आयोग से नया नाम [यदि उक्त सन्दर्भित कार्यालय ज्ञाप संख्या 4/4/1977, (14)-कार्मिक-1, दिनांक 30-1-1979 में इंगित अवधि समाप्त न हुई हो] भी मांग लिया जाये। यह कार्यवाही उक्त प्रस्तर-2 के अन्तर्गत निश्चित की गई तिथि के पन्द्रह दिन के बाहर अवश्य पूरी कर ली जाये।

(4) उपर्युक्त सभी पत्राचार पंजीकृत डाक द्वारा किया जाये।

3—यह आदेश तुरन्त लागू होंगे।

मोहन चन्द्र जोशी

सचिव